

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य प्रणण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अन्वयधारी है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधाराको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **21.09.2017** को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग मूल्य/अधिकृतन विवरण	संपत्ति का विवरण / बंधक सम्पत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक व समय
शिव शक्ति जनरल किराणा स्टोर एवं सीमेंट सप्लायर्स प्रोप- राजू लाल पुत्र छोगाराम ओड़, पता- ओड़ो का खेड़ा, गांव हरनी कला- भीलवाड़ा।	<b>15,73,439.50</b> (ब्याज एवं खर्चों अतिरिक्त)  मांग सूचना दिनांक <b>15.06.2016</b>  अधिग्रहण तिथि <b>02.08.2017</b>	1. आवासीय प्लॉट (आराजी नं. 1481, 1482) ओड़ो का खेड़ा, गांव हरनी कला भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 1792.13 वर्गफीट सीमाएं- उत्तर- सड़क, दक्षिण- सीता बाई का मकान, पूर्व- नन्दलाल का मकान, पश्चिम- सड़क। 2. आवासीय भूमि एवं भवन (आराजी नं. 1481,1482,1483) ओड़ो का खेड़ा, गांव हरनी कला भीलवाड़ा, क्षेत्रफल 1676.85 वर्गफीट सीमाएं- उत्तर- अमरी बाई का मकान, दक्षिण- अम्बालाल का मकान, पूर्व- नन्दलाल का मकान, पश्चिम- सड़क।	<b>17,30,000/-</b> (रु. सत्रह लाख तीस हजार मात्र)  <b>1,73,000/-</b> (रु. एक लाख तेहतर हजार मात्र)	<b>21.09.2017</b> प्रातः 11:00 बजे से  13:30 बजे तक

**स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।**

**नियम व शर्तें:-** 1. नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के माध्यम से दिनांक 21.09.2017 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:30 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमिटेड प्रब्लेक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद हेल्पलाइन नं. 07940230806/816/821/ 823/824/825/826/827 संपर्क सूत्र श्री जिनेश जरीवाला मो. 09537046315, ई-मेल: [rajasthan@auctiontiger.net](mailto:rajasthan@auctiontiger.net), [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net), टोल फ्री नं. 18001035422, के पोर्टल पर पंजीकरण कर लागईन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के निरामों के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर देख सकते है तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते है। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाइन जमा होगी। 6. ऑनलाइन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 19.09.2017 सांय 04:00 बजे तक है। 7. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंक चेक के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, शाखा भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र या ऑनलाइन RTGS/NEFT द्वारा खाता संख्या 25450210000410, IFSC CODE - UCBA0002545 में जमा करनी होगी। 8. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन, उसी प्रकार से करना होगा जैसा कि उक्त बिन्दु 7 में वर्णित है तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 9. यदि सफल बोलीदाता उन्कोरानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जन्त कर लिया जायेगा। 10. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 11. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा करा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 12. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामि/टेक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो। ऑनलाइन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 13. अगोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करके/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 14. खरीदार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रसार जैसे स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक राशि, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 15. इच्छुक खरीदार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 18.09.2017 तक बैंक कार्य समय में कर सकता है। 16. यह बिक्री संयुक्त अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है। 17. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक भीलवाड़ा से 01482-220344 एवं शाखा प्रबंधक यूको बैंक भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र से 01482-231292, 235192 पर संपर्क किया जा सकता है। 18. यह ऋणकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जहां के लिए सामान्य रूप से नोटिसे है।

दिनांक: 19.08.2017 स्थान: भीलवाड़ा

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक